"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2008— वैशाख 19, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2008

क्रमांक 676/251/2008/1-8 /स्था.—श्री के. के. बाजपेई, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-4-2008 से 11-4-2008 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6, 12, 13 एवं 14-4-2008 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री के. के. बाजपेई के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री व्ही. के. राय, उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. बाजपेई को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. बाजपेई अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक-बी-1-8/2008/एक /4.—श्री एम. के. गुप्ता (रा. प्र. से., पी-94, प्रवर श्रेणी), अपर कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उपायुक्त (राजस्व), आयुक्त कार्यालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है. अन्य व्यवस्था होने तक श्री गुप्ता उपायुक्त (विकास) का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे.

2. श्री धनंजय देवांगन (रा. प्र. से., आर. आर.-90, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), अपर कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उपायुक्त (विकास), आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री ए. के. टोप्पो (रा. प्र. से., आर. आर.-88, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है.

4. उपरोक्त पदस्थापना/स्थानांतर के संबंध में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-7/2/2006/1 /2.—श्री एस. आर. ब्राह्मणे, भा. प्र. से., सचिव, लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 15-4-2008 से 17-04-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13, 14, 18, 19 एवं 20 अप्रैल, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राहम्णे, आगामी आदेश तक सचिव, लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राहम्णे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राहम्णे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-7/33/2004/1 /2.—श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को दिनांक 07-04-2008 से 03-05-2008 तक (27 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06-04-2008 एवं 03-05-08 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर, आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 437/254/2008/1-8/स्था. —श्री पी. एस. तिवारी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग को दिनांक 17-3-2008 से 29-3-2008 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. तिवारी को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 439/236/2008/1-8/स्था. —श्री गिरीश कोल्हे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 21-4-2008 से 3-5-2008 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कोल्हे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरीश कोल्हे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2008

क्रमांक 740/266/2008/1-8/स्था. —श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 28-4-2008 से 3-5-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर केसवानी को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर केसवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक 441/93/2008/1-8/स्था. —श्री बी. एल. पवार, स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 3-1-2008 से 31-3-2008 तक 89 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. पवार को स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. पवार अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2008

क्रमांक 443/311/2008/1-8/स्था. —श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 21-04-2008 से 26-04-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग संपादित करें.

3. अवकाश से लौटने पर श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षेत्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 4-7/2005/1/एक. —राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 16 जून से 2 जुलाई, 2008 तक (17 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवकाश अवधि में अवकाश के पूर्व दिनांक 10 एवं 11-05-2008 का सार्वजनिक अवकाश, दि. 12 मई, 2008 से 13 जून, 2008 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 14 एवं 15 जून, 2008 का सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2008

क्रमांक 445/308/2008/1-8/स्था. —श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 21-04-2008 से 30-4-2008 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. साकी को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. के. साकी, अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

क्रमांक 4381/1317/21-ब/छ. ग./2008.— इस विभाग के आदेश क्रमांक 332/2862/21-ब/छ. ग./03 दिनांक 09-01-03 के तहत राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले के बालोद तहसील में श्री फत्तूचंद जैन को पांच वर्ष के लिए नोटरी नियुक्त किया गया था. उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच विहित रूप से की गई और यह पाया गया कि श्री फत्तूचंद जैन द्वारा नोटरी का कार्य उचित रूप से निष्पादित नहीं किया जाता और इसलिए जांच उपरांत राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि श्री फत्तूचंद जैन के पक्ष में ऐसी प्रकृति का वृत्तिक कदाचार स्थापित हो गया है जिससे की वह नोटरी की तरह कार्य करने में अयोग्य है.

अत: उपरोक्त कारणों से नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (घ) के अंतर्गत श्री फत्तूचंद जैन का नाम धारा 4 के अधीन रखे जाने वाले नोटरी रजिस्टर से एतद्द्वारा हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अति. सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 737/एफ 7-15/32/2008.— चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह समीचीन है कि सीपत क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जावें.

अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा उक्त सीपत क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "सीपत विशेष क्षेत्र" के नाम से जाना जायेगा और उसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार होगी :-

अनुसूची

सीपत विशेष क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सेलर, झलमला, नगरकोड़ा एवं ठरकपुर, परसाई ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम ठरकपुर, हीडाडीह, दमनडीह, परसाई, दर्राभाठा, कोरिया, राक एवं रलिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम खजूरी, पंधी, खजूरी, देवरी गतौरा एवं रलिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम रलिया, गतौरा, पंधी, खजूरी, मोहरा एवं सेलर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2008

क्रमांक 742/एफ 7-13/32/2008.— चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह समीचीन है कि तमनार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जावे.

अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा तमनार क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "तमनार विशेष क्षेत्र" के नाम से जाना जायेगा और उसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार होगी :-

अनुसूची

तमनार विशेष क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दक्षिण रेगांव, तमनार, बुड़िया एवं झिकाबहाल ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम झिकाबहाल, बागबाड़ी एवं महलोई की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम महलोई, देवगांव, सिलीहारी एवं कांटाझरिया की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कांटाझरिया, कसडोल, गोडी, बासनपाली एवं सलिहाभाठा की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

विभागीय परीक्षा माह जुलाई, 2008 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-52/दो-गृह/2008.— छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2008 से 26 जुलाई, 2008 तक रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 21-07-2008

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/ आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
4.	विधि तथा प्रक्रिया विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न पत्र- सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	विद्युत संबंधी विधियाँ- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

(1)	(2)	(3)
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

मंगलवार, दिनांक 22-07-2008

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग "ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों-सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
15.	दूसरा प्रश्न पत्र- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयको के लिये.	
18.	**समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.**	

(1)	(2)	(3)
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 23-07-2008	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन, को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	

(1)	(2)	(3)
	गुरुवार, दिनांक 24-07-2008	
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 25-07-2008	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी के लिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय अ.जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शनिवार, दिनांक 26-07-2008	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98 दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होंगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर को दिनांक 23-06-2008 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ-4-42/2006/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ नगर पालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2008" है,

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषा -** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) " अधिनियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961),

(ख) " नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, शिक्षाकर्मी के संबंध में अनुसूची एक के कालम (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी.

(ग) " परीक्षा " से अभिप्रेत है, सेवा हेतु भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा,

(घ) " सरकार " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार,

(ङ) " नगरपालिका " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित की गई नगर पालिक निगम तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित की गई यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत,

(च) " शिक्षाकर्मी " से अभिप्रेत है, यथास्थिति नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिये नियुक्त व्यक्ति,

(छ) " अन्य पिछड़े वर्ग " से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5- पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,

(ज) " अनुसूची " से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(झ) " अनुसूचित जाति " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ञ) " अनुसूचित जनजाति " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ट) " छानबीन समिति " से अभिप्रेत है, अभ्यर्थियों के आवेदन की छानबीन के लिए गठित समिति,

(ठ) " चयन समिति " से अभिप्रेत है, नियम 6 के उपनियम 7 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (दस) के अधीन गठित समिति,

(ड) " स्थायी समिति " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित की गई नगर पालिक निगम की मेयर-इन-कौंसिल तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित की गई यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल,

(ढ) शब्द तथा अभिव्यक्तियॉ जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं है उनके वही अर्थ होंगे जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में उनके लिए नियत किए गये हैं.

3. **विस्तार तथा लागू होना-** ये नियम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन-** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलत: धारण कर रहें हो.

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पहले सेवा हेतु भर्ती किये गये व्यक्ति,

(3) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में सेवा हेतु भर्ती किये गये व्यक्ति.

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि -** सेवा का वर्गीकरण उससे संबंधित वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी.

परन्तु सरकार समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका -** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अथवा मेरिट द्वारा चयन कर अथवा दोनों द्वारा सीधी भर्ती द्वारा.

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम 2 में यथा उल्लिखित सेवा के मौलिक सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.

(ग) यथा विनिर्दिष्ट ऐसी सेवा में ऐसे पद मूलत: धारण करनें वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा.

(2) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पदों का प्रतिशत, अनुसूची-तीन के कालम (3) तथा (4) के अनुसार होगा.

(3) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु पात्रता अनुसूची-दो में दिये गये शर्तों के अनुसार होगी.

(4) शिक्षाकर्मियों की सीधी भर्ती हेतु पदों की संख्या, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी.

(5) राज्य सरकार के नियमों में यथाउल्लिखित अनुसार, महिलाओं, नि:शक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य-वर्गों हेतु पद आरक्षित रखे जायेंगे.

तथापि विज्ञापन सूचना की प्रति रोजगार कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और महानिदेशक पुनर्वास को भेजने के पश्चात् यदि उक्त श्रेणियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थियों के अन्य श्रेणी से उपरोक्त पदों को भरा जा सकेगा.

(6) शिक्षाकर्मियों के पद (एक) - क्षेत्र में बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में से कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे,

(दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जायेंगे, और

(तीन) यथास्थिति संबंधित नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के सूचना फलक पर प्रदर्शित किये जायेंगे.

(7) विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने हेतु छानबीन समिति गठित की जावेगी :-

(क) शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 तथा वर्ग 3 के आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु समिति में संबंधित नगरपालिका के निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संयुक्त/उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास होंगे.

(ख) यदि शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 एवं 3 के पदों हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन उपलब्ध पदों की संख्या से कम है तो अर्ह अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा. इस हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा. इन अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा साक्षात्कार नहीं होगा.

(ग) यदि अर्ह अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन उपलब्ध पदों से अधिक है तो लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी.

(घ) अर्ह-अभ्यर्थियों से पदों को भरने के पश्चात् शेष रिक्त पदों को अनुसूची-दो के टीप-2 में वर्णित अर्हता को शिथिल मानते हुए, परीक्षा संचालित कर भरा जायेगा.

(ङ) चयन हेतु परीक्षा के पश्चात् कोई साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा. लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जायेगा.

(च) चयन परीक्षा हेतु प्रक्रिया - (एक) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे.

(दो) परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में परीक्षा के पूर्व किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं की जावेगी. अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वे परीक्षा में बैठने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने विहित अर्हता प्राप्त कर ली है.

(तीन) चयन-परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली होगी. प्रत्येक प्रश्नों के उत्तरों के 4 विकल्प दिए जायेंगे.

(चार) परीक्षा की कालावधि 3 घण्टे की होगी.

(पांच) लिखित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा. परिणाम के साथ आदर्श उत्तर पत्र भी प्रकाशित किया जायेगा.

(छ:) जहां तक संभव हो सभी जिलों की परीक्षाएं एक ही दिनांक तथा समय पर आयोजित की जायेंगी. राज्य स्तर पर समय-सारणी जारी की जायेगी.

(सात) यथासंभव जिला स्तर पर परीक्षा आयोजित की जायेगी.

(आठ) आवेदकों से परीक्षा शुल्क लिया जावेगा.

(नौ) परीक्षा, सरकार के अनुमोदन पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित की जा सकेगी.

(दस) परीक्षा आयोजित करने व परिणाम घोषित करने के लिये एक चयन समिति गठित की जा सकेगी, जिसमें संबंधित नगर पालिका का आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संयुक्त/उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सदस्य होंगे. यथास्थिति जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास चयन समिति के संयोजक होंगे. चयन के संबंध में समस्त अन्य प्रशासनिक तथा कानूनी कार्य संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा. चयन समिति चयन सूची कार्यवाही हेतु पहले नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी. यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 15 दिन में नियुक्ति नहीं की जाती है तो यथास्थिति संबंधित नगर पालिक निगम का आयुक्त या परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगर पंचायत के द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी.

(ग्यारह) सम्पूर्ण प्रतीक्षा सूची सहित चयन सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष तक के लिये वैध होगी तथा इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति या किसी भी कारण से इस कालावधि में हुए रिक्त पदों की भर्ती इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी.

(बारह) नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के सूचना पटल पर प्रवर्गवार, विषयवार अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची संप्रदर्शित की जायेगी.

(तेरह) अर्हता प्राप्त तथा अन्य (छूट प्राप्त) अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार, विषयवार एवं विषय समूहवार प्रावीण्य सूची पृथक से प्रकाशित की जायेगी.

(चौदह) चयन सूची से नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये अनुसार यथास्थिति संबंधित नगर निगम/नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत द्वारा रखे गये रोस्टर के अनुसार की जायेगी.

(4) नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत द्वारा सामान्यत: चयन तथा नियुक्ति का कार्य ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा.

7. **अनुकंपा नियुक्ति** - नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार (कलेक्टर की सिफारिशों के पश्चात् अनुकम्पा के आधारों पर) पात्र अभ्यर्थियों के लिए शिक्षाकर्मियों के अतिरिक्त पद मंजूर कर सकेगी.

8. **परिवीक्षा** - शिक्षाकर्मी के पद पर सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी शाला विशेष के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, जिससे शिक्षाकर्मी पूरी परिवीक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सके. प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षाकर्मी के कार्य का आंकलन किया जायेगा.

दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि पश्चात् शिक्षाकर्मी के कार्य तथा उनके आचरण के आधार पर नगरपालिका परिवीक्षा अवधि हटा सकेगी. यदि शिक्षाकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि एक से दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी इसके पश्चात् पुन: बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उसके कार्य का आंकलन किया जायेगा. यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी.

परन्तु नियुक्त शिक्षाकर्मी नियुक्ति के पांच वर्ष पश्चात् निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं कर लेता है तो वह अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने तक वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा.

9. **पदोन्नति** - (1) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति पर नियुक्ति की जायेगी.

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण के क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम 2003 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति के लिए लागू होंगे.

10. **अनुशासन तथा नियंत्रण** - शिक्षाकर्मी यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे. दीर्घशास्ति के लिए यथास्थिति नगरपालिक निगम की मेयर-इन-कौंसिल एवं नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत की प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल तथा लघुशास्ति के लिये संबंधित नगरपालिक निगम के आयुक्त या नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे.

11. **सेवा समाप्ति** - शिक्षाकर्मी की सेवायें या तो शिक्षाकर्मी द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षाकर्मी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या एक मास के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी.

12. **सामान्य सेवा शर्तें** - ऊपर वर्णित सेवा की शर्तों से भिन्न सेवा की शर्तें यथास्थिति नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत के कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी.

13. **अपील** - इन नियमों के अधीन किसी आदेश की कोई अपील अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी.

14. **निर्वचन** - इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

15. **शिथिलीकरण**- इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसको कि यह नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की, राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है तो उसके उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो.

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकुल हो.

16. **निरसन और व्यावृत्ति**- इन नियमों के आरंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त तत्स्थानी समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

अनुसूची— एक
[देखिये नियम 2 (ख) तथा नियम 5]

स. क्र. (1)	शिक्षाकर्मी वर्ग (2)	पदों की संख्या (3)	वेतनमान (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)
1.	शिक्षाकर्मी वर्ग 1	यथास्थिति जिला शिक्षा अधिकारी या आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा निर्धारित.	5300-150-8300	नगर पालिक निगम की मेयर-इन-कौंसिल तथा नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल, के अनुमोदन से यथास्थिति नगर निगम आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी.
2.	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	तदैव	4500-125-7000	तदैव
3.	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	तदैव	3800-100-5800	तदैव

टीप :- 1. प्रत्येक शाला के लिए शिक्षाकर्मियों के विभिन्न वर्गो के पदों की संख्या को उनके जिला शिक्षा अधिकारी या आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग द्वारा यथास्थिति अवधारित किया जायेगा.

2. सरकार सम्यक् प्रमाणिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर समय-समय पर प्रत्येक नगरपालिका के लिए शिक्षाकर्मियों के पदों को अनुमोदित करेगी.

अनुसूची— दो

[देखिये नियम 2 (ग) तथा नियम 5]

स. क्र. (1)	शिक्षाकर्मी वर्ग (2)	आयु न्यूनतम (3)	आयु अधिकतम (4)	शैक्षणिक योग्यता (5)	नियुक्ति प्राधिकारी (6)
1.	शिक्षाकर्मी	21 वर्ष	35 वर्ष	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी. एड.	नगर पालिक निगम की स्थिति में मेयर-इन-कौंसिल के अनुमोदन से आयुक्त तथा नगर पंचायत की स्थिति में प्रेसीडेंट-इन कौंसिल के अनुमोदन से मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
2.	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	21 वर्ष	35 वर्ष	संबंधित विषय समूह में द्वितीय श्रेणी में स्नातक तथा बी. एड.	तदैव
	क. शिक्षाकर्मी (उद्योग)	21 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था उद्योग में डिप्लोमा.	तदैव
	ख. शिक्षाकर्मी (संगीत)	21 वर्ष	35 वर्ष	संगीत में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि.	तदैव
	ग. शिक्षाकर्मी (शारीरिक शिक्षा)	21 वर्ष	35 वर्ष	शारीरिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि.	तदैव
3.	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	18 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी. एड. प्रमाण पत्र.	तदैव
	क. शिक्षाकर्मी वर्ग 3 शिक्षाकर्मी (तबला)	18 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तबला में प्रमाण पत्र.	तदैव
	ख. शिक्षाकर्मी विज्ञान/ शिक्षाकर्मी (प्रयोगशाला)	18 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा (विज्ञान समूह)	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ग. शिक्षाकर्मी (उर्दू)	18 वर्ष	35 वर्ष	एक विषय के रूप में उर्दू के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा एवं जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-महिर प्रमाण पत्र.	तदैव

टीप :- 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार रहेगी.

2. बी. एड. या डी. एड. के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शैक्षिक अर्हता से छूट मानी जायेगी.

3. विज्ञान समूह में आवश्यकतानुसार जीव विज्ञान एवं गणित समूह के अभ्यर्थी नियुक्त किए जाएंगे.

4. भाषा समूह में तीन शिक्षाकर्मियों हेतु हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के एक-एक, शिक्षाकर्मी चयन किए जाएंगे. शिक्षाकर्मी वर्ग 2 अंग्रेजी के लिए सारत: अंग्रेजी साहित्य विषय में स्नातक होना चाहिए.

5. विज्ञान संकाय की रिक्तियों का 50 प्रतिशत शिक्षाकर्मी वर्ग 3 द्वारा भरा जाएगा.

6. जीव विज्ञान के लिये बॉटनी या जुलॉजी में स्नातकोत्तर की उपाधि स्वीकार होगी.

अनुसूची— तीन

[देखिये नियम 6 (2)]

अनु. क्र.	शिक्षाकर्मी वर्ग	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वर्ग 1	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	वर्ग 2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	वर्ग 3	100 प्रतिशत	-

टीप :- 1. शालाओं में आवश्यकतानुसार शिक्षाकर्मी के विभिन्न वर्गों की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों का आंकलन तथा प्रमाणीकरण यथास्थिति, उप-संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जाएगा.

2. नियमानुसार यदि पदोन्नति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो, तो पदोन्नति के पद भी सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे, तथापि, इसके पश्चात् यदि अभ्यर्थियों द्वारा पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर ली जाती है तो उन्हें संबंधित विषय अथवा विशेष संकाय के स्कूल स्वीकृत पदों के पचास प्रतिशत की सीमा तक पदोन्नति दी जायेगी. उनके लिए अतिरिक्त पद स्वीकृत माना जायेगा तथा जिसे पद से पदोन्नति हुई है वह पद उनके पदोन्नति के बाद अतिरिक्त पद से नियमित स्वीकृत पद पर समायोजन तक रिक्त रखा जायेगा. अतिरिक्त पदों को भविष्य में रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा.

अनुसूची— चार
[देखिये नियम (9)]

स. क्र.	पद जिससे पदोन्नति की जाना है	पद जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिक्षाकर्मी वर्ग -2	शिक्षाकर्मी वर्ग-1	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी. एड./डी. एड. तथा धारित पद पर कम से कम 7 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव.	नगर पालिक निगम की स्थिति में मेयर-इन-कौंसिल तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के मामले में प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल.
2.	शिक्षाकर्मी वर्ग -3	शिक्षाकर्मी वर्ग-2	संबंधित विषय समूह में स्नातक उपाधि एवं बी. एड./ डी. एड. तथा धारित पद पर 7 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव.	नगर पालिक निगम की स्थिति में मेयर-इन-कौंसिल तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के मामले में प्रेसीडेंट-इन-कौंसिल.

Raipur the 23rd April 2008

No. F-4-42/2006/18.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 58 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities, Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULE

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Nagarpalika Shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of Services) Rules 2008".

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition** - In these rules unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

(b) "Appointing Authority" in respect of Shiksha Karmi means the authority specified in column (5) of Schedule-I ;

(c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service ;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(e) "Municipality" means Municipal Coropration constituted under Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be, constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) ;

(f) "Shiksha Karmi" means the person appointed by Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be for teaching in schools under their control ;

(g) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F 8-5 XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(i) "Scheduled Caste" means the scheduled castes as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India ;

(j) "Scheduled Tribe" means the scheduled tribes as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India ;

(k) "Screening Committee" means the committee constituted for screening of application of candidates ;

(l) "Selection Committee" means the committee constituted under sub clause (x) of clause (g) of Sub-Rule-7 of Rule 6 ;

(m) "Standing Committee" means the Mayor-in Council of Municipal Corporation as constituted under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and president-in-Council of Municipal Council or Nagar Panchayat as constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) ;

(n) The words and expressions used but not defined in these Rules, shall carry the same meaning as have been assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

3. **Scope and application** - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitutions of the service** - The Service shall consist of the following persons, namely-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively post specified in the Schedule-I.

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules: and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, scale and pay, etc.**- The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either in a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment** - (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely-

(a) By direct recruitment by competitive examination or selection by merit or by both.

(b) By promotion of substantive members of the Service as mentioned in column 2 of Schedule IV.

(c) By transfer of persons holding substantively such post in such service as may be specified.

(2) The percentage of posts to be filled by direct recruitment and promotion shall be as per column (3) and (4) of Schedule-III.

(3) The eligibility for direct recruitment and promotion shall be as per the conditions given in Schedule-II.

(4) For direct recruitment of Shiksha Karmis the number of posts that shall be reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes shall be as per the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(5) Reservation shall be made for Women, Physically handicapped, Ex-servicemen and other categories as mentioned in the State Government rules.

However, the above posts can be filled from other category of candidates if after sending copies of the advertisement notices to the Employment Office, District Sainik Welfare Board or Diricto General Rehabilitation if no suitable candidates of the said category are available.

(6) Posts of Shiksha Karmi shall be - (i) advertised in atleast one of the daily newspaper widely circulated in the area ;

(ii) notified in the local employment office ;

(iii) displayed on the notice Board of the concerned Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be.

(7) The following scrutiny committee shall be constituted for the scrutiny of the application form, received in the prescribed proforma-

(a) For the Scrutiny of the application of Shiksha Karmi Grade 1, 2 and 3 the committee shall comprise of Municipal Commissioner or Chief Municipal Officer, Joint Dy. Director, Urban Administration and Development, District Education Officer or Assistant Commissioner, Tribal Development.

(b) If the application received from the qualified candidates for the posts of Shiksha Karmi Grade 1, 2 and 3 are less than the number of posts available, then the selection shall be made on the basis of marks obtained, by the qualified candidates. For this the selection shall be made on the basis of merit. There shall be no written examination and interview for these candidates.

(c) If the application received from the qualified candidates are more than the available posts then a written examination shall be conducted.

(d) The posts that remain vacant after filling from the qualified candidates shall be filled through conducting examination after the qualification entered in Note-2 of Schedule-II are deemed to be relaxed.

(e) These shall be no interview after the examination for selection- The Selection shall be on the basis of marks obtained in written examination.

(f) Procedure for selection examination - (i) The application shall be submitted in the prescribed proforma.

(ii) No scrutiny shall be made before the examination in case the examination is conducted. It shall be the responsibility of the candidates before appearing in the examination to ascertain that they possess the prescribed qualifications.

(iii) **Selection-** examination shall consist of objective question of 100 marks. Four alternative answers to each question shall be given.

(iv) Examination shall be of three hours duration.

(v) The result of the written examination shall be published. Model answers shall be published with the result.

(vi) Examination shall be conducted on the same date and time in all the districts as far as possible. The time table shall be issued at the State level.

(vii) Examination shall be conducted at the district level as far as possible.

(viii) Examination fee shall be levied from the applicants.

(ix) Examination may be conducted by any other organization selected by the appointing authority on the approval of the Government.

(x) For conduction of examination and announcement of results a selection committee may be constituted which shall comprise of Municipal Commissioner/Chief Municipal Officer, Joint/Dy. Director Urban Administration and Development, District Education Officer, or Assistant Commissioner, Tribal Development as members. District Education Officer or Assistant Commissioner, Tribal Development as the case may be, will be convenor of selection Committee. All other administrative and statutory works related to selection shall be performed by concerned appointing authority. Selection Committee shall produce selection list before appointing authority. If appointment is not done by appointing authority within 15 days. Then Municipal Commissioner of the Municipal Corporation or Chief Municipal Officer of the Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be shall make appointment.

(xi) The entire selection list together with the waiting list shall be valid for one year after the declaration of the examination results & new post sanctioned or post vacant because of any reason in this period shall be filled by this waiting list.

(xii) The merit list of grade-wise candidates shall be displayed on the notice board of Municipal Corporation/Municipal Council or Nagar Panchayat by the appointing authority.

(xiii) The merit list shall be published separately grade- wise, subject-wise and subject group-wise of the qualified candidates and other (Relaxation) candidates.

(xiv) The appointment shall be made from the select list on the basis of roaster prescribed by the State Government under Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Schduled Tribes and Other Backward Class Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and roaster maintained by Municipal Corporation/Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be.

(8) In general the Municipal Corporation/Municipal Council or Nagar Panchayat shall select and appoint during summer vacation before beginning of academic session.

7. **Compassionate Appointment** - Not withstanding under rule 5, State Government may sanction additional posts of Shiksha Karmis as it deem fit on the basis of compassionate ground after the recommendation of Collector of eligible candidates.

8. **Probation-** Every selected candidate by direct recruitment to the post of Shiksha Karmi shall be appointed for a specific school on probation for two years which may be extended up to five years so that Shiksha Karmi may work for the entire probation period in the same school. At the end of every year, appointing authority will assess the work of Shiksha Karmi.

After the probation period of two years on the basis of conduct and work of Shiksha Karmi the Nagarpalika may terminate the probation period. In case the work of Shiksha Karmi is not found satisfactory then the probation period may be extended for one to two years there after work shall be assessed after the end of the extended period. If their services are not found staisfactory their services shall be terminated.

Provided that the appointed Shiksha Karmi if does not obtain the prescribed educational qualification after five years of joining shall not be entitled for increments till he obtains the required qualification.

9. **Promotion** - (1) Appointment shall be made on promotion as prescribed in Schedule-IV through departmental promotion committee.

(2) The Provisions with necessary changes in Chhattisgarh Civil Service (Reservative in promotion and Limit of extension of zone of consideration) Rule, 2003 shall be applicable for the promotion of Shiksha Karmis.

10. **Discipline and Control** - Shiksha Karmis shall be under the administrative control of Municipal Corporation/Municipal Council or Nagar Panchyat as the case may be. The Mayor-in-Council of Municipal Corporation or the president-in-Council of Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be, shall be the disciplinary authority

for major punishment and Municipal Commissioner of concerned Municipal Corporation or Chief Municipal Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat shall be the disciplinary authority for minor punishment.

11. **Termination of Service** - The services of a Shiksha Karmi may be terminated after a written notice of one month or paying salary of one month at any time by appointing authority or Shiksha Karmi.

12. **General Service Condition**- Conditions of service other than mentioned above shall be the same as applicable to employees of Municipal Corporation/Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be.

13. **Appeal** - Any order passed under these rules shall be appealed under the provisions of the Act.

14. **Interpretation** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Goverment whose decisions thereon shall be final.

15. **Relaxation** - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it be just an equivalent.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

16. **Repeal and Saving** - All rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :-

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of the Chhattisgarh.
C. K. KHAITAN, Secretary.

SCHEDULE—I
[See Rule 2 (b) and rule 5]

S. No. (1)	Shiksha Karmi Grade (2)	Number of Post (3)	Pay-Scale, (4)	Appointing Authority (5)
1.	Shiksha Karmi Grade-1.	Shall be determined be DEO or ACTD as the case may be.	5300-150-8300	Commissioner of Municipal Corporation or Chief Municipal Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat with approval of the Mayor-in-Council of the Municipal Corporation President- in Council of Municipal Council or Nagar Panchayat as the case may be.
2.	Shiksha Karmi Grade-2.	Shall be determined be DEO or ACTD as the case may be.	4500-125-7000	--------do------
3.	Shiksha Karmi Grade-3.	Shall be determined be DEO or ACTD as the case may be.	3800-100-5800	--------do------

Note :-

1. Number of posts of different grades of Shiksha Karmis for each school shall be determined by District Education Officer or by the Assistant Commissioner, Tribal Development as the case may be.
2. On receipt of comprehensive and certified proposals the Government shall approve posts of Shiksha Karmi for each Municipality from time to time.

SCHEDULE—II

[See Rule 2 (c) and rule 5]

S. No.	Shiksha Karmi Grade	Age (minimum)	Age (maximum)	Qualification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shiksha Karmi Grade-1.	21	35	Posts Graduate Degree on Second Division in respective Subject & B. Ed.	Commissioner of Municipal Corporation or Chief Municipal Officer of Municipal Council or Nagar Panchayat with approval of the Mayor-in-Council of the Municipal Corporation President-in-Council of Municipal council or Nagar Panchayat as the case may be.
2.	Shiksha Karmi Grade-2.	21	35	Graduate in Second Division in related Subject group & B. Ed.	............do.............
	A. Shiksha Karmi (Industry)	21	35	Higher Secondary School Certificate & Diploma in respective Industry by State Government Approved organization.	............do.............
	B. Shiksha Karmi (Music)	21	35	Graduate Degree in Music with Second Division.	............do.............
	C. Shiksha Karmi (Physical Education)	21	35	Graduate Degree in Physical Education with Second Division.	............do.............
3.	Shiksha Karmi Grade-3.	18	35	Higher Secondary School Cerrificate & D. Ed. Certificate.	............do.............
	A. Shiksha Karmi Grade-3 Shiksha Karmi (Tabla)	18	35	Higher Secondary School Certificate & Certificate in Tabla from any recognized Institutions.	............do.............
	B. Shiksha Karmi Science/Shiksha Karmi (Lab.)	18	35	Higher Secondary School Certificate (Science group).	............do.............
	C. Shiksha Karmi Urdu	18	35	Higher Secondary Certificate Examination with Urdu as a Subject or Higher Secondary Certificate Examination & Adib-E-Mahir Certificate from Zamia Urdu Aligarh.	............do.............

Note :-

1. The Age relaxation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes & Women candidates shall be as per Government Rules.

2. In case of non availability of B. Ed. or D. Ed. candidates the relaxation from educational qualification shall be assumed.

3. Candidates from Biology and Mathematics Group shall be appointed as per the requirement in the Science Group.

4. For three Shiksha Karmi in the Language group one each from Hindi, English and Sanskrit shall be selected English Shiksha Karmi Grade-2 shall be essentially a graduate with English Literature.

5. Fifty percent of the vacancies of Shiksha Karmi Grade-3 shall be filled by candidates of Science Group.

6. Post Graduate Degree in Botany or Zoology shall be accepted for Biology Group.

SCHEDULE—III

[See Rule 6 (2)]

S. No.	Shiksha Karmi Grade	Percentage of Posts to filled	
		by direct Recruitment	by promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Grade-1	50 percent	50 percent
2.	Grade-2	50 percent	50 percent
3.	Grade-3	100 percent	-

Note :-

1. The Deputy Director Education or as the case may be, Assistant Commissioner Tribal shall determine and certify the vacancies for direct recruitment and promotion of Shiksha Karmis of different grades as per the requirement in schools.

2. As per the rule if candidates for promotion are not available then posts of promotion can also be filled up by direct recruitment. However, after this, if candidates acquire requisite qualification for promotion then they shall be promoted subject to the limit of 50 percent of the total sanctioned vacancy of related subject or subject group. It shall be presumed that supernumerary posts have been created for them and the post from which they have been promoted shall be kept vacant till the supernumerary post so created is adjusted against regular sanctioned promotional posts, supernumerary posts, shall be adjusted against the promotional posts falling vacant in future.

SCHEDULE—IV

[See Rule 9]

S. No.	Post from which promotion has to be made	Post on which promotion is made	Qualification and experience for promotion	Member of promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shiksha Karmi Grade-2.	Shiksha Karmi Grade-1.	Minimum 7 yrs. of teaching experience in the post held and post Graduate Gegree in related subject and B. Ed./ D. Ed.	Mayor-in-Council of Municipal Corporation and President-in-Council of Municipal Council or Nagar Panchayat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Shiksha Karmi Grade-3.	Shiksha Karmi Grade-2.	7 yrs. of teaching experience in the post held and post Graduate Degree in related subject Group and B. Ed./D. Ed.	Mayor-in-Council of Municipal Corporation and President-in-Council of Municipal Council or Nagar Panchayat.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्रमांक-491 /अविअ/भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जॉजगीर-चाम्पा	जांजगीर	लछनपुर प. ह. नं. 33	58.345	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू अर्जन छ. ग. रा. वि. मंडल, कोरबा (पूर्व)	2x500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह के आवासीय परिसर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जॉजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 अप्रैल 2008

क्रमांक/48/अ. वि. अ./भू-अर्जन/5 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	मेमरा प. ह. नं. 31	1.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	मेमरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल; कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बर्रा प. ह. नं. 3	2.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	विकासखण्ड खरसिया के बर्रा जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 2 अप्रैल 2008

प्र. क्र. 20/अ-82/07-08.---चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मानपुर प. ह. नं. 60	1.423	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला कबीरधाम.	झाड़ूटोला जला. डुबान में अर्जित शेष भूमि का पूरक अर्जन.

भूमि का नक्शे (प्लान) का अनु. अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अप्रैल 2008

प्र. क्र. 21/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बुधवारा प. ह. नं. 09	0.470	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा जिला-कबीरधाम.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड से रहेंगी सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शे (प्लान) का अनु. अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अप्रैल 2008

प्र. क्र. 22/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	गौरमाटी प. ह. नं. 65	2.094	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जिला- दुर्ग (छ. ग.)	कुबिया व्यपवर्तन नहर निर्माण में.

भूमि का नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 3 अप्रैल 2008

प्र. क्र. 23/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कोसमंदा प. ह. नं. 35	0.081	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2008

क्रमांक 23/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	कटरा	0.255	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	कटरा जलाशय नहर कार्य बावत.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक 4/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रतनपुर	0.697	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत रतनपुर.	प्रियदर्शनी बस स्टैण्ड निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक 12/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	सिलपहरी	3.644	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक 14/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हरदीकला	11.337	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक 15/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मुढ़ीपार	8.020	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक 16/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	रहंगी	0.688	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक 18/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पेण्ड्रीडीह	4.916	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2008

क्रमांक 19/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	धूमा	8.516	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 08/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	भटगांव	5.179	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 09/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	खम्हारडीह	3.730	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 10/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	नगरौड़ी	0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 11/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	ढेका	4.143	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 17/अ/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	परसदा	2.745	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण, हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2008

क्रमांक 20/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कड़ार	16.224	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2008

क्रमांक 06/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	सेवार	8.218	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2008

क्रमांक 07/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मोहभट्ठा	4.839	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2008

क्रमांक 13/अ-82/2007-08/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	झल्फा	0.162	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 बिलासपुर.	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/ अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-गेवरा, प. ह. नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.32 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
267/1	0.17
267/2	0.10
267/3	0.34
267/4	0.10
267/5	0.14
267/6	0.15
267/7	0.15
267/8	0.17
योग 8	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोयला उत्खनन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-टांड़ापारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
353/5	0.053
353/8	0.134
356/6	0.170
252/1, 353/2	0.049
353/1	0.053
322/1	0.016
321/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 333/1	0.032
352/2, 353/2	0.081
349/2	0.032
321/5, 323/5, 324/5, 325/5, 326/5, 333/5	0.283
321/2, 323/2, 324/2, 325/2, 326/2, 333/2	0.117
321/7, 322/7, 324/7, 325/7, 333/7	0.283
योग 12	1.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टांड़ापारा से खम्हार मार्ग हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-पुछियापाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
57/2	0.327
165	0.077
57/7	0.162
177	0.061
375	0.057
550/3	0.065
125	0.032
179	0.049
377	0.077
175	0.146

(1)	(2)
178	0.049
378	0.004
374	0.061
57/8	0.081
57/9	0.016
373	0.040
550	0.089
योग 17	1.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टांड़ापारा से खम्हार मार्ग हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन; राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 8 अप्रैल 2008

प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-कुंवा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
29/6	**0.101**
योग	**0.101**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- फोक नदी के सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 अप्रैल 2008

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-झिंगराडोंगरी, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 10.797 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
142/3+4	0.195
223/2	0.145
231	0.153
229/1+2	0.122
142/2	0.385
2/8/2	0.081
142/6	0.231
169	1.000
170	1.389
172	0.093
173/1	1.215
150/1	0.636
150/2	0.700
151/1	0.049
151/2	0.069
151/3	0.032
151/4	0.049
151/5+6+7	**0.243**
151/8	**0.210**
189/2, 191/2	**0.113**
195	**0.401**
211/1	**0.093**

(1)	(2)
219/1	0.194
225/1	0.186
225/2	0.546
227/1	0.652
223/1	0.146
229/4	0.441
229/3	0.668
224/1	0.198
224/2	0.162
योग 31	10.797

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहपाड़ जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य एफलक्स बंड (बंडपार एवं डुबान क्षेत्र) के निर्माण कार्य से प्रभावित.

(3) भूमि नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/2007/प्रकरण क्र. 04/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बलौदाबाजार

(ग) नगर/ग्राम-डोंगरा, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.403 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
474/1	0.158
473/1	0.174
276/1	0.126
275/1	0.105
278	0.012
272, 273	0.113
271/1	0.020
253/12	0.162
253/39	0.024
269/2, 270	0.065
260/1	0.109
459	0.081
258/1	0.057
258/2	0.081
257/1	0.061
260/2	0.032
255/2	0.020
238/2	0.028
256	0.146
244/2	0.069
238/1	0.065
239/4	0.065
243	0.069
34/1	0.081
29	0.101
28	0.028
12/4	0.117
22/6	0.012
12/1	0.008
18/2, 3, 4	0.186
13	0.028
योग 31	2.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लवन शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 मार्च 2008

क्रमांक 2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-परसवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 8.27 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	8/26	0.91
	8/28	0.70
	94/1	0.50
	96/1	3.00
	96/9	2.00
	100/4	0.48
	109/4	0.25
	109/5	0.43
योग	8	8.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भारत सागर जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-राजस्व अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 मार्च 2008

रा. प्र. क्र. 25/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.174 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	27	0.057
	30/1	0.117
योग	2	0.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2008

क्रमांक 2/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
822/1 ष/2	0.668
822/1 ष/1	0.445
822/1 च	0.016
922/2 ग	0.081
911/3	0.506
912/1 913/1	0.101
912/2 913/2	0.101
1974/1	0.089
1948/2	0.081
1967	0.125
1958	0.057
1980/1	0.162
1980/2	0.81
2044/3 2045	1.21
2047/1	0.587
योग	3.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चांपी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2008

क्रमांक /6/अ-82/05 06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम ,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-जमुनाही, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.717 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
109/1	0.145
109/2 107	0.024
199/1	0.021
106/1	0.069
153	0.049
157	0.057
190/1	0.024
190/2	0.032
190/3	0.061
156	0.081
188	0.081
201 189/2	0.020
198	0.053
योग	0.717

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चांपी जलाशय जमुनाही शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2008

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सल्फा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.334 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
494/1	0.040

	(1)	(2)
	496/1	0.101
	499/2	0.040
	499/3	0.040
	500/1	0.113
योग	5	0.334

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ताला एनीकट सुरक्षात्मक कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मुंगेली जिला बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.